Date: 11.2.2022	**Publication:** Dainik Bhaskar
Page no.: 9	**Edition:** New Delhi
Headline: Infrastructure sector won't face liquidity issue with introduction of surety bonds	

भास्कर EXPLAINER

बजट में वित्त मंत्री ने सरकारी योजनाओं के लिए बैंक गारंटी की जगह श्योरिटी बॉन्ड अपनाने का फैसला किया है।

श्योरिटी बॉन्ड से इन्फ्रा सेक्टर को लिक्विडिटी की समस्या नहीं होगी

• श्योरिटी बॉन्ड क्या है?

यह एक तरह की वित्तीय क्रेडिट है, जिसे बॉन्ड गारंटी के तौर पर जाना जाता है। सरल शब्दों में यह दो पक्षों के बीच एक समझौता है जो तयशुदा नियमों और शर्तों के आधार पर कोई अनुबंध पूरा करने की गारंटी देता है। मसलन यदि कॉन्ट्रेक्टर अपने समझौते की शर्तों को पूरा नहीं कर सकता तो श्योरिटी, यानी इंश्योरेंस कंपनी उत्तरदायी होती है।

टीए रामलिंगम, सीटीओ, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस

• श्योरिटी बॉन्ड कैसे काम करते हैं?

श्योरिटी बॉन्ड मुख्य पक्ष को गारंटी देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हर हाल में पूरा होगा। यदि कॉन्ट्रेक्टर इसका उल्लंघन करता है, तो मुख्य पक्ष भरपाई के लिए श्योरिटी बॉन्ड से क्लेम कर सकता है।

• बैंक गारंटी की जगह श्योरिटी बॉन्ड के फायदे?

बैंक गारंटी के लिए कारोबारियों को नकद राशि या संपत्ति बैंक के पास रखनी होती है, जबकि श्योरिटी बॉन्ड जारी करने में बीमा कंपनी कैश या अन्य संपत्ति का समर्थन नहीं मांगती। ऐसे में बचे हुए फंड कॉन्ट्रेक्टर को अतिरिक्त टेंडर या अनुबंधों के लिए बोली लगाने का मौका देते हैं। ये पूरे प्रोजेक्ट और मेंटेनेंस तक प्रदान किए जा सकते हैं। बैंक गारंटी आमतौर पर छोटी अवधि के लिए होती, जिसे रिन्यू कराना पड़ता है।

• आईआरडीए ने श्योरिटी बॉन्ड के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। इससे क्या फायदा होगा?

इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फायदा होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां जोखिम कवर करने की जिम्मेदारी लेंगी। इन्फ्रा कंपनियों को बैंक गारंटी की वजह से लिक्विडिटी की समस्या होती थी जो अब नहीं होगी। इससे प्रोजेक्ट की आरंभिक लागत में भी कमी आने की उम्मीद है।